

From

Labour Commissioner,
Haryana, Chandigarh.

Reminder II

To,

1. Presiding Officer Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ambala, Panipat, Rohtak, Faridabad-I/II/III, Gurgaon-I/II and Hissar.
2. Addl. Labour Commissioner, (NCR) Gurgaon.
3. Dy. Labour Commissioner, Panipat, Panchkula, Faridabad, Gurgaon-I&II, Hisar and Rohtak.
4. Dy. Director(IS&H) Ambala, Panipat, Faridabad, Gurgaon-I and Hisar.
5. Assistant Labour Commissioner, Ambala, Yamunanagar-I, Kurukshetra, Karnal, Rewari, Sonapat-I, Bahadurgarh, Bhiwani, Sirsa, Palwal, Kaithal, Jind and Mewat.
6. Assistant Director, (Industrial Safety and Health), Yamunanagar-I, Kurukshetra, Karnal, Mewat, Rewari, Sonapat-I, Rohtak, Bhiwani & Sirsa
7. Dy. Director (Industrial Health), Faridabad and Gurgaon-II
8. AD(IH cum C.S), Ambala, Panipat, Faridabad, Gurgaon and Hissar.
9. Accounts branch for uploading on department site.

No. Actt/2019/

28894-946

Dated: 16-9-19

Sub:-

Regarding Re-imburement of Medical.

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 15580-632 दिनांक 29.05.17, पत्र क्रमांक 8122-74 दिनांक 15.02.18 के सन्दर्भ में।

विषय सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की हिदायतें दिनांक 19.09.16 के अनुसार 3 लाख से कम की राशि के Approved Hospital के चिकित्सा बिलों की वर्कआउट/अदायगी के लिए नियमानुसार DDO/HOO स्वयं सक्षम है। कृपया आप 3 लाख से कम राशि के बिल मुख्यालय भेजकर कार्यालय कार्य में बाधा ना डाले तथा नियमानुसार स्वयं अदायगी करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त unapproved Hospital के चिकित्सा बिलों को स्वास्थ्य विभाग की Instruction दिनांक 06.05.05 के अनुसार सिविल सर्जन से सर्टिफाई करवाकर/नियमानुसार पूर्णरूप से वर्कआउट करके ही सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए दो कॉपी में भेजें, अन्यथा आपके चिकित्सा बिलों को वापस भेज दिया जायेगा। आपसे अनुरोध है कि चिकित्सा बिलों को वर्कआउट करके ही भेजें।


उप अधीक्षक

कृते श्रम आयुक्त, हरियाणा।